बाद से बहुत से चकमा आदिवासी त्रिपुरा में घुस आए हैं। मई, 1992 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के समय इस बारे में किसी निश्चित समय-सीमा पर सहमति नहीं हो पाई थी फिर भी यह सहमति हुई कि उनको स्वदेश वापस भेजने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए बंगलादेश सरकार ने चकमा शरणार्थियों को शीघ्र वापसी सहित "चटगांव हिल ट्रेक्ट्स" (सी एच टी) की समस्याओं को सुलझाने के लिए राजनैतिक दलों का एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

त्रिपुरा में इस समय रह रहे चकमा शरणार्थियों के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार को दी जा रही वित्तीय सहायता को स्थगित करने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी नहीं किए हैं। चकमा शरणार्थियों के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार को अब तक 41.50 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों के बारे में जानकारी

2131. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों के संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्य इस संबंध में सरकार को जानकारी भेज चुके हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक यह जानकारी नहीं भेजी है और उनसे कब तक यह जानकारी भेजने के लिए कहा गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से, जब कभी भी आवश्यक होता है तो, राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी जाती है। तथापि उन्हें सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के अंतर्गत आने वाली एसोसिएशनों की गतिविधियों पर नजर रखें।

चाय कर्मकारों की स्थिति

2132. **श्रीमती सुषमा स्वराज्**
श्री राम जेठमलानी :

क्या श्रम मंत्री 30 नवम्बर, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1138 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय कर्मकारों को दी जाने वाली धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो चाय कर्मकारों की मजदूरी में वृद्धि करने संबंधी मामले में अभी तक कितनी सफलता मिली है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पनन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) 30 नवम्बर, 1992 को राज्य सभा में प्रश्न संख्या 1138 के उत्तर में चाय बागानों में कर्मकारों की औसत दैनिक आय के बारे में दी गई सूचना श्रम ब्यूरो द्वारा 1985–90 के दौरान 3 बागानों में किए गए व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के चौथे दौर पर आधारित थी। इसलिए यह सूचना सभी चाय बागानों अथवा सभी राज्यों के चाय बागान श्रमिकों की सही स्थिति को नहीं दर्शाती है। सर्वेक्षण की प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई हैं। चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समुचित सरकार हैं।

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी से प्राप्त अभ्यावेदन

2133. **डा. बापू कालदाते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :